हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

Website - www.bseh.org.in E-mail ID- ascond@bseh.org.in

प्रेषकः	सेवा में,
सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	प्रधानाचार्य, सभी संबंधित डी0एल0एड0 शिक्षण संस्थान ....

क्रमांक 1554 / संचालन दिनांक 13-10-2025

विषयः—डी0एल0एड0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (नियमित / रि—अपीयर / मर्सी चांस) प्रायोगिक परीक्षाएं सितम्बर / अक्तूबर—2025 के संचालन से संबंधित दिशा—निर्देश बारे।

01. डी0एल0एड0 प्रथम व द्वितीय वर्ष (नियमित / रि—अपीयर / मर्सी चांस) की बाह्य व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं के बाद दिनांक 23.10.2025 से 30.10.2025 तक छात्र—अध्यापकों के सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में ही संचालित करवाई जाएंगी।
02. प्रायोगिक परीक्षा के अंक ऑनलाईन अपलोड किए जाने हैं। अंक अपलोड करने से संबंधित लिंक बोर्ड की वैबसाईट पर दिया जाएगा। अंक अपलोड करने से पूर्व ग्रुप फोटो भी लिंक पर अपलोड किया जाना है छात्र—अध्यापकों के 25 से 30 के विषयवार ग्रुप बनाए जाएं। ग्रुप फोटो में प्रायोगिक परीक्षक / ऑब्जर्वर व सभी संबंधित छात्र—अध्यापक शामिल होंगे। लिंक दिनांक 23.10.2025 से 01.11.2025 तक ओपन रहेगा। संस्थान अपनी **Instt. Login** के **User ID** और **Password** के माध्यम से लिंक पर **Visit** करके अंक अपलोड करने का कार्य करेंगे। निर्धारित तिथियों में अंक अपलोड करवाना आपकी जिम्मेवारी होगी।
03. एक विषय के सभी परीक्षार्थियों के अंक ध्यानपूर्वक एक साथ **Submit** करें। **Submit** होने उपरांत अंकों में ऑन—लाईन कोई शुद्धि नहीं होगी। किसी भी छात्र—अध्यापक के कॉलम को खाली न छोड़ा जाए। प्रायोगिक परीक्षक व ऑब्जर्वर की उपस्थिति में अंक अपलोड करना अनिवार्य है।
04. यदि आपके संस्थान में बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य प्रायोगिक परीक्षक किसी विशेष कार्य से ड्यूटी रद्द करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र देता है, तो आप अपने जिले की **D.I.E.T** के प्राचार्य से उसके स्थान पर अन्य परीक्षक की नियुक्ति करवाएंगे। किसी भी अवस्था में परीक्षक की नियुक्ति अपने स्तर पर न करें। जिला भिवानी में **D.I.E.T** न होने के कारण इसके शिक्षण संस्थानों का उक्त वर्णित कार्य प्राचार्य, **D.I.E.T** बिरही कलां, चरखी दादरी द्वारा किया जाएगा।
05. डी0एल0एड0 प्रथम वर्ष के छात्र—अध्यापकों के बाह्य मूल्यांकन हेतु दो परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें एक सरकारी / बाह्य संस्थान से होगा तथा दूसरा सम्बन्धित संस्थान का होगा, जिसकी नियुक्ति संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी। आन्तरिक परीक्षक को कोई पारिश्रमिक भुगतान देय नहीं होगा।
06. आन्तरिक प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य हेतु बोर्ड कार्यालय द्वारा ऑब्जर्वर की नियुक्तियां भी की गई हैं। ऑब्जर्वर द्वारा यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि प्रायोगिक परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो। इसके अतिरिक्त नियुक्त ऑब्जर्वर से आवश्यकतानुसार संबंधित संस्थान की बाह्य प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में भी रिपोर्ट ली जा सकती है।
07. यदि आपके संस्थान में बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर किसी विशेष कार्य के दृष्टिगत ड्यूटी रद्द करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र देता है तो आप उस अवस्था में अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से अन्य ऑब्जर्वर की नियुक्ति करवाएंगे। किसी भी अवस्था में आन्तरिक प्रायोगिक परीक्षा ऑब्जर्वर के बिना संचालित नहीं करवाई जानी है।
08. यदि SIP विषय में छात्र—अध्यापक की उपस्थिति 90% नहीं है तो उसके ऑनलाईन अंक अपलोड करते समय अंक शून्य दर्शाया जाए।
09. बाह्य प्रायोगिक परीक्षकों को बोर्ड नियमानुसार पारिश्रमिक भत्ता व T.A/D.A देय होगा। बिल का लिंक बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षक द्वारा निर्धारित लिंक से बिल डाउनलोड करने व पूर्ण रूप से भरने उपरांत डाक / दस्ती माध्यम से सहायक सचिव, गोपनीय शाखा—01, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम भेजा जाएगा।
10. आब्जर्वर के पारिश्रमिक व T.A बिल का लिंक भी बोर्ड की वैब—साईट पर उपलब्ध है। आब्जर्वर द्वारा पारिश्रमिक व T.A बिल, जिस संस्थान में उनकी नियुक्ति की गई है, उस संस्थान के प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर डाक / दस्ती अथवा ई—मेल के माध्यम से सहायक सचिव, लेखा शाखा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम भेजा जाना है।
11. यदि प्रायोगिक परीक्षक अथवा प्रायोगिक ऑब्जर्वर द्वारा बिल क्लेम नहीं किया जाता है तो बोर्ड कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्मरण पत्र व बिल का प्रोफार्मा नहीं भेजा जाएगा। बिल क्लेम फार्म भरकर जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा। बिल क्लेम करना सम्बन्धित की जिम्मेवारी होगी।
12. बाह्य प्रायोगिक परीक्षा के हस्ताक्षर चार्ट सहायक सचिव, गोपनीय शाखा—1, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम भिजवाना सुनिश्चित करें।
13. प्रायोगिक परीक्षा आवश्यकता पड़ने पर अवकाश वाले दिन भी संचालित करवाई जा सकती है।
14. आप द्वारा आपके संस्थान में नियुक्त ऑब्जर्वर का बिल प्रतिहस्ताक्षर किया जाना है।
15. आपको प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित करवाने हेतु स्टेशनरी / अन्य कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. प्रायोगिक परीक्षक एवं आप प्रायोगिक परीक्षा का पूरा रिकार्ड परिणाम घोषित होने के छह माह तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
17. इस पत्र में प्रायोगिक परीक्षक व ऑब्जर्वर से संबंधित बिन्दुओं बारे उन्हें अवगत करवाना आपकी जिम्मेवारी होगी।
18. इस पत्र में दिए गए दिशा—निर्देशों की दृढ़ता से पालना की जाए अन्यथा दिशा—निर्देशों की अवहेलना करने पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

सहायक सचिव (संचालन)